न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– **हेमराज गुर्जर (आरएएस)**

प्रकरण सख्या:–57 / 17 दायर दिनांक:– 04.10.2017

1.मुरारी लाल पुत्र श्री छाजू जाति बैरागी(पुजारी) निवासी नगला धवला मजरा अटारीपुरा तहसील भुसावर
2.डालचंद पुत्र श्री छाजू जाति बैरागी(पुजारी) निवासी नगला धवला मजरा अटारीपुरा तहसील भुसावर जिला
3. सुरेश चंद पुत्र श्री छाजू जाति बैरागी(पुजारी) निवासी नगला धवला मजरा अटारीपुरा तहसील भुसावर
4. गिरधारीलाल पुत्र श्री बिहारी जाति बैरागी(पुजारी) निवासी नगला धवला मजरा अटारीपुरा तहसील भुसावर
5. रमेशचंद पुत्र श्री बिहारी जाति बैरागी(पुजारी) निवासी नगला धवला मजरा अटारीपुरा तहसील भुसावर
6. अमर सिंह पुत्र श्री बिहारी जाति बैरागी(पुजारी) निवासी नगला धवला मजरा अटारीपुरा तहसील भुसावर
7. मुकेशचंद पुत्र श्री बिहारी जाति बैरागी(पुजारी) निवासी नगला धवला मजरा अटारीपुरा तहसील भुसावर
8. सुखराम पुत्र श्री बिहारी जाति बैरागी(पुजारी) निवासी नगला धवला मजरा अटारीपुरा तहसील भुसावर

—प्रार्थी

बनाम

1 विजय सिंह पुत्र किशन सिंह जाति जाट निवासी धवला मजरा अटारीपुरा तहसील भुसावर जिला
2. तेजसिंह पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी धवला मजरा अटारीपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर(राज.)
3. खूबीराम पुत्र चिरमोली जाति जाट निवासी धवला मजरा अटारीपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर(राज.)
4. जगराम पुत्र किशन सिंह जाति जाट निवासी धवला मजरा अटारीपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर
5. वीरसिंह पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी धवला मजरा अटारीपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर(राज.)
6. दर्याव पुत्र कन्हैया जाति जाट निवासी धवला मजरा अटारीपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर(राज.)
7. वीरेन्द्र पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी धवला मजरा अटारीपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर(राज.)
8. मोहनसिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाति जाट निवासी धवला मजरा अटारीपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर
9. मेवाराम पुत्र रिछपाल जाति जाट निवासी धवला मजरा अटारीपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर(राज.)
10. दर्यावसिंह पुत्र हरख्याल जाति जाट निवासी धवला मजरा अटारीपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर
11. बलवन्त पुत्र चिरमोली जाति जाट निवासी धवला मजरा अटारीपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर(राज.)

———प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थित –श्री राजू सैनी वादी अधिवक्ता
श्री चन्द्रशेखर तिवारी प्रतिवादीगण अधिवक्ता

<u>निर्णय–दिनांक 14.09.2022</u>

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 ए0 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ0 ख0 नं0 89 रकबा 14 विस्वा , ख0 नं0 90 रकवा 05 बीघा 14 बिस्वा, 93 रकवा 02 बीघा 18बिस्वा, एवं खसरा न. 94 रकवा 03 बीघा 14, विस्वा, 96 रकवा 02 बीघा 17, बिस्वा 98 रकवा 02 बीघा 17 बिस्वा, ख0 नं0 91 रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा, वाके ग्राम अटारीपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर में स्थित है जिसके वादीगण संख्या 1 लगायत 3 हिस्सा 1/2 में वाहिस्सा बराबर व वादी संख्या 4 लगायत 8 हिस्सा 1/2 में वाहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। वादीगण उपरोक्त खातेदारी काश्तकारी की

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

आराजी में ज्वार–बाजरे की फसल बो रखी है जो सरसब्ज खडी हुई है। प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त खातेदारी काश्तकारी की आराजी को निर्विवाद रूप से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं।

वादपत्र की खण्ड संख्या 1 में वर्णित आराजी से प्रतिवादीगण का किसी भी प्रकार का संबंध किसी भी किस्म का नहीं है और प्रतिवादीगण गॉव में ताकतवर व्यक्ति हैं जो लट्ठ व ताकत के बल पर वादीगण की खातेदारी काश्तकारी की उपरोक्त आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं और उसमें होकर आवागमन हेतु रास्ता निकालने पर आमादा हैं। निर्माण करने पर आमदा हैं

अतः वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने बाबत निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डॉक द्वारा की गई प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनामा श्री चन्द्रशेखर तिवारी एडवोकेट द्वारा पेश किया गया तथा उनके द्वारा प्रा0 पत्र धारा 10 व 12 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया नकल प्रार्थी अधिवक्ता को दिलाई गई इसके बाद जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनॉक 18.3.20 को प्रार्थना पत्रधारा 10 व 12 जा0 दी0 स्वीकार की गई तथा न्यायालय हाजा में विचाराधीन उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 ए0 उनवान मुरारीलाल बनाम विजयसिंह बगै0 में कार्यवाही स्थिगित की जा चुकी है। उक्त कार्यवाही माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के निर्णय की प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त होने तक स्थिगित की गई थी।

न्यायलय हाजा में विचाराधीन प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधज्ञा बावत् है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी को पेश करने माननीय न्यायालय श्रीमान भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित छायाप्रति दिनांक 18.03.20 से बार बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी पेश नहीं गई हैं।

अतः न्यायालय श्रीमान भू– प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधीकारी भरतपुर में विचाराधीन प्रकरण का जब तक निर्णय नहीं हो जाता जब तक उक्त न्यायालय में धारा 10 सीपीसी के प्रावधानों के तहत कार्यवाही स्थिगित की जा चुकी है। तथा उक्त उनवानी दावा वादी भी निस्तारित किया जा चुका है। तथा भविष्य में यदि पक्षकार चाहें तो माननीय न्यायालय श्रीमान भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के निर्णय के उपरान्त प्रथक से प्रकारण दायर करने हेतु पक्षकार स्वतन्त्र हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 ए0 नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनॉक 14.9.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 14/9/22
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)